न्यायाधीश श्री एम. जयपॉल के समक्ष

गोपाल पंडित,-याचिकाकर्ता

बनाम

पंजाब और हरियाणा न्यायालय और अन्य-उत्तरदाता
C.W.P 14230 सन् 1990
30 नवंबर, 2010

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद. 226-हरियाणा सिविल सेवा (दंड और अपील) नियम, 1987-आर. आई. 7.— अस्थायी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में याचिकाकर्ता की नियुक्ति-इस आधार पर समाप्ति कि याचिकाकर्ता की सेवाओं की अब आवश्यकता नहीं है-समाप्ति के आदेश की पुष्टि करने वाला अपीलीय प्राधिकरण-संशोधन! याचिकाकर्ता का सेवा रिकॉर्ड खोजने वाला प्राधिकरण संतोषजनक नहीं है- याचिकाकर्ता की सेवा समाप्त होने के उसी दिन एक अन्य कर्मचारी की भर्ती-याचिकाकर्ता से जूनियर रैंक के छह अस्थायी कर्मचारी अभी भी सेवा में हैं-बर्खास्तगी का आदेश न केवल मनमाना बल्कि भेदभावपूर्ण भी है- परिष्करण प्राधिकरण द्वारा दिया गया कारण समाप्ति के मूल क्रम में नहीं पाया गया-परिष्करण प्राधिकरण समाप्ति के आदेश की पुष्टि करने के लिए कोई अलग कारण नहीं दे सकता है-भले ही सेवा रिकॉर्ड संतोषजनक न हो, याचिकाकर्ता को कलंक को दूर करने के लिए सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था- याचिका की अनुमति दी गई, उत्तरदाताओं द्वारा पारित आदेशों को रद्द कर दिया गया।

अभिनिर्धारित किया गया कि याचिकाकर्ता को जारी नियुक्ति के आदेश के संदर्भ में वरिष्ठ उप न्यायाधीश, सोनीपत तीसरे प्रत्यर्थी द्वारा पारित समाप्ति का आदेश न केवल मनमाना है, बल्कि भेदभावपूर्ण भी है क्योंकि तीसरे प्रत्यर्थी द्वारा रैंक में कनिष्ठों को इस आधार पर सेवा से बर्खास्त करते हुए बरकरार रखा गया था कि उसकी सेवा की अब आवश्यकता नहीं थी और उसी दिन एक नए अस्थायी कर्मचारी की भी भर्ती की गई थी। बेशक, नियुक्ति प्राधिकरण एक कर्मचारी की अस्थायी सेवा को इस आधार पर समाप्त कर सकता है कि अस्थायी कर्मचारी की सेवा असंतोषजनक थी या वह सौंपे गए काम के लिए या ऐसे किसी भी समान कारणों से उपयुक्त नहीं था, & #39; f एक अस्थायी कर्मचारी के प्रेषक को केवल तभी टेनिनेट किया जा सकता है जब उसे अस्थायी कैडर में सबसे जूनियर के रूप में तैनात किया गया हो।
जब अन्य कनिष्ठ अस्थायी कर्मचारी सेवा में आते हैं, तो रैंक में वरिष्ठ को इस आधार पर दरवाजा नहीं दिखाया जा सकता है कि उनकी सेवा की अब आवश्यकता नहीं थी। प्राधिकरण द्वारा पारित ऐसा कोई भी आदेश निश्चित रूप से भेदभावपूर्ण होगा।

इसके अतिरिक्त यह अभिनिर्धारित किया गया कि पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के अवलोकन पर, यह पाया गया है कि पुनरीक्षण प्राधिकारी ने एक कारण दिया है, जो तीसरे प्रत्यर्थी द्वारा पारित समाप्ति के मूल आदेश में नहीं पाया गया कि याचिकाकर्ता का सेवा अभिलेख संतोषजनक नहीं था। सबसे पहले, पुनरीक्षण प्राधिकरण नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा मनमाने ढंग से या भेदभावपूर्ण तरीके से पारित समाप्ति के आदेश को प्रमाणित करने के लिए कोई अलग कारण नहीं दे सकता है। दूसरा यह मानते हुए भी कि याचिकाकर्ता का सेवा रिकॉर्ड संतोषजनक नहीं था, याचिकाकर्ता को अपनी सेवा से जुड़े कलंक को दूर करने के लिए सेवा रिकॉर्ड की एक प्रति देकर एक अवसर दिया जाना चाहिए था। यद्यपि नियुक्ति के आदेश में यह कहा जाएगा कि याचिकाकर्ता की अस्थायी सेवा को नोटिस के साथ भी समाप्त किया जा सकता है, जब एक अस्थायी कर्मचारी की सेवा से कोई कलंक जुड़ा होता है, तो अस्थायी कर्मचारी को कलंक को दूर करने का अवसर दिया जाना चाहिए, अन्यथा उसे सेवा रिकॉर्ड में अंकित कलंक के साथ बेरहमी से सेवा से बाहर भेज दिया जाएगा।

(Para 12)

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता पुनीत बाली।
सुखविंदर सिंह नारा, सीनियर डीएजी, हरियाणा/डॉ. उत्तरदाता-राज्य।

आदेश

न्यायाधीश एम. जयपाल

(1) याचिकाकर्ता तीसरे प्रत्यर्थी द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को चुनौती देता है, जिसकी पुष्टि दूसरे प्रत्यर्थी द्वारा अपील में की गई थी और प्रथम प्रत्यर्थी के समक्ष दिए गए संशोधन में इसकी पुष्टि की गई थी।

(2) याचिकाकर्ता को तीसरे प्रतिवादी, वरिष्ठ उप न्यायाधीश, सोनीपत द्वारा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया था। नियुक्ति के आदेश में कहा गया है कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति अस्थायी होने के कारण बिना किसी सूचना के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। याचिकाकर्ता की सेवा को तीसरे प्रतिवादी द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित करके समाप्त कर दिया गया थाः-"गंगरी डाकघर, हिरौदी जिला हजारीबाग (बिहार) के निवासी श्री मुंशी पंडित के बेटे गोपाल पंडित की सेवाओं की अब आवश्यकता नहीं है और इसलिए उनकी सेवाओं को 27 जनवरी 1989 से समाप्त कर दिया जाता है।

(3) 27 जनवरी, 1989 (एफएन) से याचिकाकर्ता की सेवा की समाप्ति के लिए तीसरे प्रतिवादी द्वारा सौंपा गया एकमात्र कारण यह था कि याचिकाकर्ता की अस्थायी सेवा की अब आवश्यकता नहीं थी।

(4) याचिकाकर्ता ने दूसरे प्रतिवादी के समक्ष यह तर्क देते हुए अपील की कि तीसरे प्रतिवादी द्वारा पारित आदेश मनमाना था। कृष्ण चंद गोयल बनाम पंजाब राज्य और दूसरे (1) पंजाब राज्य परिवहन विभाग बनाम अमरजीत सिंह, (2) और बलदेव कृष्ण अष्टा बनाम भारत संघ और अन्य (3) में इस न्यायालय के तीन निर्णयों का हवाला देते हुए प्रत्यर्थी ने कहा है कि भले ही कोई अस्थायी कर्मचारी रैंक में वरिष्ठ हो, उसे सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है क्योंकि उसकी सेवा अस्थायी प्रकृति की थी।

(5) इस न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण में, इस न्यायालय ने तीसरे प्रत्यर्थी द्वारा पारित मूल आक्षेपित आदेश में सौंपे गए कारण से पूरी तरह से अलग कारण निर्दिष्ट करके दूसरे प्रत्यर्थी द्वारा आक्षेपित आदेश की पुष्टि की। आदेश के शब्दों में, इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण में अभिनिर्धारित किया कि याचिकाकर्ता का सेवा अभिलेख संतोषजनक नहीं था और इसलिए तीसरे प्रतिवादी द्वारा पारित आक्षेपित आदेश, जिसकी पुष्टि दूसरे प्रतिवादी द्वारा याचिकाकर्ता की अस्थायी सेवा को समाप्त करने के लिए की गई थी, किसी भी हस्तक्षेप की गारंटी नहीं देता है।

(6) माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का उल्लेख करते हुए याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वत वकील यह प्रस्तुत करेगा कि एक अस्थायी कर्मचारी, जो रैंक में वरिष्ठ है, जब जूनियर बहुत अधिक उपलब्ध हैं, को इस आधार पर समाप्त नहीं किया जा सकता है कि ऐसे कर्मचारी की सेवा असंतोषजनक है या वह पद के लिए या समान कारणों से अनुपयुक्त है। वह आगे प्रस्तुत करेगा कि पुनरीक्षण मंच ने तीसरे प्रतिवादी द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करने के लिए अपने स्वयं के कारण प्रदान किए थे और दूसरे प्रतिवादी द्वारा पुष्टि की गई थी। इस न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा भेजे गए परिपत्र का उल्लेख करते हुए, वह प्रस्तुत करेंगे कि प्रत्यर्थियों ने संबंधित अधिकारियों की नियुक्ति के लिए जारी किए गए इस तरह के परिपत्र को स्वीकार नहीं किया था कि वरिष्ठ को कोई कारण बताए बिना समाप्त नहीं किया जाएगा जब उसके कनिष्ठ अभी भी सेवा में हैं। इसलिए, यह उनका निवेदन है कि प्रथम प्रतिवादी द्वारा पारित और दूसरे और तीसरे उत्तरदाताओं द्वारा पुष्टि किया गया आक्षेपित आदेश कानूनी जांच में नहीं खड़ा है।

(7) उत्तरदाताओं के लिए विद्वत वरिष्ठ उप महाधिवक्ता-राज्य नियुक्ति के आदेश का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत करेगा कि नियुक्ति प्राधिकरण के पास बिना कोई कारण बताए याचिकाकर्ता की अस्थायी सेवा को समाप्त करने की शक्ति है। यह उनका आगे का निवेदन है कि श्री सिंघल, जिन्होंने बर्खास्तगी आदेश पारित करने में कथित रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, को इस न्यायालय के समक्ष एक पक्ष के रूप में शामिल नहीं किया गया था। किसी भी रूप में, यह उनका निवेदन है कि इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत संशोधन में कहा है कि याचिकाकर्ता का सेवा रिकॉर्ड संतोषजनक नहीं था और इसलिए उसे अस्थायी कर्मचारी के रूप में सेवा में बने रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

(8) तीसरे प्रत्यर्थी ने इस आधार पर समाप्ति का आदेश पारित किया है कि याचिकाकर्ता की अस्थायी सेवा की अब आवश्यकता नहीं थी। याचिकाकर्ता द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह प्रदर्शित किया गया है कि याचिकाकर्ता की सेवा की समाप्ति के ठीक उसी दिन, श्री राज कुमार नाम के एक अन्य अस्थायी कर्मचारी को तीसरे प्रतिवादी द्वारा भर्ती किया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा यह भी प्रदर्शित किया गया है कि छह अस्थायी कर्मचारी हैं, जो रैंक में जूनियर हैं, अभी भी सेवा में बने हुए हैं। इस स्थिति को उत्तरदाताओं द्वारा भी स्वीकार किया गया था।

(9) माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रबंधक, सरकारी शाखा प्रेस और दूसरा बनाम D.B. बेलियप्पा (4) ने निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित किया हैः-"इसके विपरीत, यदि किसी अस्थायी सरकारी कर्मचारी की सेवाओं को मनमाने ढंग से समाप्त कर दिया जाता है, न कि उसकी अनुपयुक्तता, असंतोषजनक आचरण या इसी तरह के आधार पर जो उसे उसी सेवा में अपने कनिष्ठों से अलग एक वर्ग में डाल देता है, तो अनुचित भेदभाव का प्रश्न उत्पन्न हो सकता है, इस तथ्य के बावजूद कि उसकी सेवा को समाप्त करने में, नियुक्ति प्राधिकरण रोजगार की शर्तों के अनुसार कार्य करने का इरादा रखता था।

(10) उपरोक्त निर्णय को ख़ारिज करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जरनैल सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य के मामले में आगे इस प्रकार का निर्णय दिया है:-"तत्काल मामले में जैसा कि हमने पहले ही कहा है कि हालांकि विवादित आदेश रोजगार की शर्तों के अनुसार सरल समाप्ति के आदेश के छद्म या लबादा के तहत किया गया था, फिर भी परिचर परिस्थितियों पर विचार करते हुए जो समाप्ति के उक्त आदेश का आधार हैं, यह निष्कर्ष निकालने में कोई संदेह नहीं है कि समाप्ति का आदेश उन याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का कोई उचित अवसर प्रदान किए बिना किया गया था जिनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं और भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 (2) में निर्धारित अनिवार्य प्रक्रिया का पालन किए बिना।

(11) उपर्युक्त निर्णय के आलोक में, मुझे लगता है कि याचिकाकर्ता को जारी नियुक्ति के आदेश के संदर्भ में, निश्चित रूप से तीसरे प्रत्यर्थी द्वारा पारित समाप्ति का आदेश न केवल मनमाना है, बल्कि भेदभावपूर्ण भी है क्योंकि तीसरे प्रत्यर्थी द्वारा रैंक में कनिष्ठों को इस आधार पर याचिकाकर्ता को सेवा से समाप्त करते हुए बनाए रखा गया था कि उसकी सेवा की अब आवश्यकता नहीं थी और उसी दिन एक नए अस्थायी कर्मचारी की भी भर्ती की गई थी।
बेशक, नियुक्ति प्राधिकरण किसी कर्मचारी की अस्थायी सेवा को रोजगार के क्रम के संदर्भ में इस आधार पर समाप्त कर सकता है कि अस्थायी कर्मचारी की सेवा असंतोषजनक थी या वह सौंपे गए काम के लिए उपयुक्त नहीं था या ऐसे ही किसी कारण से। एक अस्थायी कर्मचारी की सेवा को इस आधार पर समाप्त किया जा सकता है कि उसके प्रेषक की अब केवल तभी आवश्यकता नहीं है जब उसे अस्थायी संवर्ग में सबसे कनिष्ठ के रूप में तैनात किया गया हो। जब अन्य कनिष्ठ अस्थायी कर्मचारी सेवा में होते हैं, तो रैंक में वरिष्ठ को इस आधार पर दरवाजा नहीं दिखाया जा सकता है कि उनकी सेवा की अब आवश्यकता नहीं थी। प्राधिकरण द्वारा पारित ऐसा कोई भी आदेश निश्चित रूप से भेदभावपूर्ण होगा।

(12) पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के अवलोकन पर, यह पाया जाता है कि पुनरीक्षण प्राधिकारी ने एक कारण दिया है, जो तीसरे प्रत्यर्थी द्वारा पारित समाप्ति के मूल आदेश में नहीं पाया गया था कि याचिकाकर्ता का सेवा रिकॉर्ड संतोषजनक नहीं था। सबसे पहले, पुनरीक्षण प्राधिकरण नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा मनमाने ढंग से या भेदभावपूर्ण तरीके से पारित समाप्ति के आदेश को प्रमाणित करने के लिए कोई अलग कारण नहीं दे सकता है। दूसरा यह भी कि यह तर्क देने के लिए कि याचिकाकर्ता का सेवा रिकॉर्ड जरनैल सिंह और अन्य के मामले (उपर्युक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार संतोषजनक नहीं था, याचिकाकर्ता को सेवा रिकॉर्ड की एक प्रति देकर अपनी सेवा से जुड़े कलंक को दूर करने का अवसर दिया जाना चाहिए था।
यद्यपि नियुक्ति के आदेश में कहा जाएगा कि याचिकाकर्ता की अस्थायी सेवा को बिना किसी सूचना के भी समाप्त किया जा सकता है, जब एक अस्थायी कर्मचारी की सेवा से कोई कलंक जुड़ा हो, तो अस्थायी कर्मचारी को कलंक को दूर करने का अवसर दिया जाना चाहिए, अन्यथा उसे सेवा रिकॉर्ड में अंकित कलंक के साथ बेरहमी से सेवा से बाहर भेज दिया जाएगा।

(13) सी. डब्ल्यू. पी. सं. 2367 सन् 1984 और सीडब्ल्यूपी नं. 281 सन् 1986 में पारित इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करते हुए सरकारी शाखा प्रेस और अन्य और जरनैल सिंह और अन्य मामलों (उपर्युक्त) में विनिश्चय के पश्चात् इस न्यायालय की रजिस्ट्री ने पंजाब और हरियाणा राज्य के साथ-साथ संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के सभी जिला और सत्र न्यायाधीशों को निर्देश जारी किए हैं कि अस्थायी कर्मचारियों की सेवाओं को उनकी वरिष्ठता को ध्यान में रखे बिना समाप्त नहीं किया जाएगा। दूसरे शब्दों में वरिष्ठ कर्मचारियों को सेवा से तब तक बर्खास्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उनके कनिष्ठ अभी भी सेवा में हैं। प्रतिवादियों ने भी विवादित आदेश पारित करते समय उक्त परिपत्र का पालन नहीं किया।

(14) इन सभी कारणों से, यह मानते हुए कि उत्तरदाताओं द्वारा पारित विवादित आदेश न केवल मनमाने हैं, बल्कि भेदभावपूर्ण भी हैं, विवादित आदेश रद्द कर दिए जाते हैं। नतीजतन, प्रत्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता को सेवा की निरंतरता के साथ अपने मूल पद पर बहाल करें, लेकिन उस अवधि के दौरान आधे वेतन के साथ जब वह सेवा से बाहर था। इस आदेश के कारण याचिकाकर्ता को उपार्जित सभी लाभ इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर उसे दिए जाएंगे।

(15) उपरोक्त निर्देशों के साथ, रिट याचिका की अनुमति है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं है।

अस्वीकरण: *स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त होगा।*

अनुराग यादव
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
Trainee Judicial Officer
नारनौल, हरियाणा